न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.1.24	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप0 है। वकील प्रार्थी ने न्यायिक दृष्टान्त पेश किये। वास्ते आदेश दि0 13-2-24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
13.2.24	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप0 है। बहस प्रा0पत्र में वकील उभयपक्षकारान द्वारा दिये गए तर्कों पर मनन किया। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि तामील कुनिन्दा ने गलत रिपोर्ट कर बाद तामील की रिपोर्ट न्यायालय में पेश की। अतः प्रार्थी के विरूद्ध की गई एक-पक्षीय कार्यवाही को निरस्त फरमाया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के ~~समर्थन~~ में निर्णय दिनांक 11.3.2020 की फोटोप्रति पेश की। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब प्रा0 पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तामील कुनिन्दा द्वारा CPC के नियमों की पालना करते हुए तामील करवायी गयी है जो सही है। प्रार्थी को मूल दावे में जवाब हेतु पर्याप्त अवसर व जानकारी होने के बाद भी [illegible] डिक्री को अपास्त कराने का [illegible] नही बताया और न ही उपस्थित होने का स्पष्टीकरण दिया। [illegible] निर्णय के लगभग 2 वर्ष बाद प्रार्थी द्वारा यह निवेदन (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.15 16:37:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
	किया गया है, जो काफी देरी से है। इस कारण से प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। हमने प्रार्थना-पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज, जवाब प्रा० पत्र का अवलोकन किया। बहस सुनी। प्रार्थी ने तामील को गलत साबित करने के पक्ष मे कोई भी दस्तावेज पत्रावली मे पेश नही किया है। न्यायालय निर्णय दिनांक 11.3.2020 मे स्पष्ट अंकित किया गया है कि "प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के उनके बिरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।" अतः प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को साबित नही कर पाने के कारण यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.15 16:37:58 IST
Reason: SelfAttested